

असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति

केन्द्र उन्नितकरण आवेदन

माननीय परीक्षा सचिव महोदय,

निवेदन यह है कि हमारे केन्द्र में सन् से आज तक परिचय से प्रवेशिका/प्रबोध/विशारद तक की परीक्षाएँ अनुष्ठित होती आ रही हैं। अब इसे प्रबोध/विशारद/प्रवीण केन्द्र के रूप में उन्नितकर इस इलाके के परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने की सुविधा प्रदान कर आभारी करें। आवेदन में अधोलिखित विवरण सत्य है। मेरे विद्यालय/महाविद्यालय में केन्द्र की स्वीकृति देने पर परीक्षा संचालन का सारा दायित्व मैं वहन करूंगा तथा सारी जिम्मेदारी मेरी होगी।

- विद्यालय/महाविद्यालय का नाम व पूरा पता- नाम
स्थान
डाक
जिला पिन नं०
व्हाट्स एप नं. मोबाइल नं.
 - विद्यालय/महाविद्यालय सरकारी/प्रादेशीकृत है या नहीं : है नहीं
 - विद्यालय के सरकारी/प्रादेशीकृत पत्र संख्या व तारिख (आदेश का प्रति संलग्न करना अनिवार्य है)
 - विद्यालय/महाविद्यालय में कौन सा परीक्षा केंद्र है, कृपया ✓ लगाए :
i) दसवीं (मैट्रिक) ii) बारहवीं (हायर सेकण्डरी) iii) स्नातक (बी.ए.)
 - विद्यालय भवन का विवरण (क) भवन पक्का या कच्चा
(ख) कमरे तथा हॉल (Hall) की संख्या
(ग) बैंच डेक्स का विवरण (परीक्षार्थी ज्यादा होने पर कहाँ से बैंच डेक्स संग्रह करना चाहते हैं उसका भी वर्णन करें।
(घ) अलमारी की संख्या- लोहे की / लकड़ी की
- नोट- 5 (क), (ख), (ग), और (घ) के बारे में एक अलग विवरण पत्र इसके साथ संलग्न करेंगे।)
- गोपनीय परीक्षा सामग्रियों (प्रश्न पत्र - उत्तर बही आदि) रखने के लिए थाने/बैंक का नाम तथा दूरी उल्लेख करें। (थाने/बैंक के प्रधान से सम्मति पत्र इसके साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा)
 - नजदीक के दो पूर्व स्वीकृत केन्द्रों का नाम व दूरी के साथ उन केन्द्र के केन्द्र व्यवस्थापकों से आपत्ति विहीन प्रमाण-पत्र (No objection certificate) संलग्न करना अनिवार्य होगा। साथ ही पी. डब्ल्यू.डी. से दूरी संबंधी प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
(क)
(ख)
 - यातायत के साधनों का विवरण और साथ ही केन्द्र में पहुँचने के लिए नजदीकी बस अड्डा, रेल स्टेशन का नाम-
 - आगामी परीक्षा के लिए संभाव्य परीक्षार्थी की संख्या (प्रवीण/विशारद केन्द्र के लिए निम्नतम परीक्षार्थी की संख्या 50 होना अनिवार्य होगा।)
 - पिछले तीन सत्रों की प्रबोध/विशारद की परीक्षार्थी की संख्या-

भवदीय

हस्ताक्षर
प्रधान शिक्षक/अध्यक्ष का पूरा नाम
विद्यालय/महाविद्यालय
ता. मो. नं. :
(मुहर)

[वि.द्र. : आवेदन-पत्र में दिये गये तथ्यों में कहीं कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर परीक्षा केंद्र की मान्यता तुरंत रद्द कर दी जाएगी]